भारत सरकार	लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	अतारांकित प्रश्न सं. 1687
वाणिज्य विभाग	

दिनांक 10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जनजातीय लोगों द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात

1687. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है या करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय के पास जनजातीय क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित कोई आंकड़े हैं

(ग) यदि हां, तो निर्यात की गई वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य और निर्यात की जा रही वस्तुओं के प्रमुख प्रकार क्या हैं; और

(घ) क्या महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय उद्यमियों के लिए ऋण और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार निरंतर निगरानी रखती है और पहल करती है। इस संबंध में की गई पहलों का विवरण निम्नलिखित है:-

क. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (टीआरआईएफईडी) "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" (पीएमजेवीएम) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमजेवीएम के तहत, टीआरआईएफईडी जनजातीय उत्पादों के विपणन, अवसंरचना विकास, अनुसंधान एवं विकास आदि में नियोजित है। यह 65 से अधिक देशों में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट्स में 'आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर' स्थापित करके अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी पहल कर रहा है। टीआरआईएफईडी अन्य देशों में भारतीय मिशनों के साथ मिलकर प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

ख. इसके अलावा, वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग, व्यापारियों और विनिर्माताओं सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से नियोजित हुआ है। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्यात संवर्धन संबंधी पहलें की गई हैं:

i. दिनांक 31 मार्च, 2023 को नई विदेश व्यापार नीति लॉच की गई और यह दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी हो गई।

ii. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): यह मिशन निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय किया गया है। ईपीएम कई अलग-अलग योजनाओं से एकल, परिणाम आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित होगा:

   क. निर्यात प्रोत्साहन – ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण संवर्धन सहायता जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए लागत प्रभावी व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

   ख. निर्यात दिशा – गैर-वित्तीय सहायक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं, जिनमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन संबंधी सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार आसूचना एवं क्षमता-निर्माण पहल शामिल हैं।

   इस मिशन को भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करने हेतु डिजाईन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   - सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुँच,
   - अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
   - अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और
   - आंतरिक और कम निर्यात-गहन वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधाएँ।

iii. निर्यात को बढावा देने के लिए कई योजनाओं, जैसे कि निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस), के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

iv. श्रम प्रधान क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना दिनांक 07.03.2019 से लागू की गई है।

v. निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना दिनांक 01.01.2021 से लागू की गई है।

vi. मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना: सरकार निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है और उसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ 15 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)और 6 अधिमान्य व्यापार समझौते (पीटीए)पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ

मिलकर कार्य कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों जैसे कि ईएफटीए देशों, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। सरकार ने हाल ही में भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

vii. व्यापार को सुगम बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र हेतु एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

viii. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके और जिले में रोजगार सृजित करने में स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करके, 'निर्यात केंद्र के रूप में जिला' पहल शुरू की गई है।

ix. विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करना और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

(ख) और (ग) वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का कुल पण्यवस्तु निर्यात 437.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जनजातीय क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के निर्यात के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा नहीं रखता है।

(घ) आदिवासी उद्यमियों के लिए ऋण और निवेशक नेटवर्क तक पहुंच को आसान बनाने के लिए की गई पहलों का विवरण निम्नलिखित है:-

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए स्थापित एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आय सृजन कार्यकलापों/स्व-रोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है, जिसमें शिक्षा ऋण योजना भी शामिल है। कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी 50.00 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक अंशदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।
- **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है।

- **स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ):** यह अनुसूचित जनजाति सदस्यों की छोटी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों की एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य 50,000/- रुपये तक और प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है।

2. **निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना** को भी सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी)द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को पात्र निर्यातकों, जिनमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बिना गारंटी वाली ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलने की प्रत्याक्षा है।

3. ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्ववर्ती भारत निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिमों के विरुद्ध निर्यातकों को ऋण बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे आदिवासी उद्यमियों सहित भारतीय निर्यातकों को आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने की शक्ति मिलती है। ईसीजीसी निर्यातक-ऋणकर्ताओं को निर्यात ऋण देने में जोखिमों के विरुद्ध बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा कवर (ईसीआईबी) भी प्रदान करती है। ईसीआईबी कवर निर्यातकों को किफायती और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाते हैं। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय और पूरे भारत में 46 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें महाराष्ट्र में पांच क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं।

****